न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
घीसुलाल बनाम राजस्थान सरकार
GCMS No- 2023/282
प्रकरण संख्या 85/2023

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 85/2023
जीसीएमएस न0 2023/282

1. श्री घीसुलाल पिता मोहनलाल जी कुमावत निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

––– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

––– विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– 1– श्री सुधीर कुमावत – अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

दिनांकः–24.10.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम सीगरी पटवार हल्का जलिया तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 30 की आराजी नंबर 64 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे.मु.चाह, आराजी नंबर 65 रकबा 1.7600 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.7700 हैक्टेयर स्थित है जिसके पुराने साबिक आराजी नंबर 035 मीन रकबा 7 बिघा है।

2. प्रार्थी ने उक्त साबिक आराजी नंबर 35 रकबा 7 बिघा को विक्रेता नन्ने खां पिता समुन्द्र खां मुसलमान, अब्दुल शकुर खां पिता अब्दुल गफार खां मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.02.1990 को खरीद की, उक्त विक्रयपत्र में प्रार्थी का घर बोलता नाम घीसालाल पिता मोहनलाल दर्ज हो गया, जबक प्रार्थी का रेकॉर्डेड नाम घीसुलाल पिता मोहनलाल हैं तथा इसी नाम से आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मतदाता पहचान पत्र आदि बने हुए है तथा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है।

3. उक्त रजिस्ट्री के आधार पर प्रार्थी के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ तो उसमें भी प्रार्थी का नाम घीसालाल पिता मोहनलाल दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक रेकॉर्डेड नाम घीसुलाल पिता मोहनलाल हैं तथा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं हैं। इसलिये प्रार्थी राजस्व रेकॉर्ड में सही नाम घीसुलाल पिता मोहनलाल दर्ज कराना चाहता हैं, जो कि न्यायहित में आवश्यक हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:41:56 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रार्थी को उक्त तथ्य की जानकारी दिनांक 3[illegible]202[illegible] को हुई जिस पर नकलें प्राप्त की और प्रार्थी ने अपने स्तर पर नाम दुरस्त करा[illegible] कर्मचारियों से सम्पर्क किया और आवेदन भी पेश किया परन्तु अभी तक [illegible]का नाम राजस्व रेकॉर्ड दुरस्त नहीं हुआ है इसलिये यह आवेदन पेश किया जा रहा है।

5. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। वकील प्रार्थी ने आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, बैंक पास बुक की फोटोप्रति पेश कि जिसमें प्रार्थी का नाम घीसूलाल पिता मोहनलाल कुमावत है जबकि ग्राम सीगरी पटवार हल्का जलिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या

Scanned by CamScanner

30 की आराजी नंबर 64,65 कुल रकबा 1.7700 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम घीसालाल पिता मोहनलाल कुमावत दर्ज हो गया जिसे दुरस्त किया जाना उचित है।

6. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

7. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम सीगरी की आराजी नम्बर 64, 65 रकबा 1.7700 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम घीसालाल पिता मोहनलाल कुमावत के बजाय घीसूलाल पिता मोहनलाल कुमावत दर्ज किये जाने हेतू शुद्धि चाही गई। प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, बैंक पास बुक आदि दस्तावेज में घीसूलाल पिता मोहनलाल है जबकि उक्त आराजियात में प्रार्थी का नाम घीसालाल पिता मोहनलाल कुमावत दर्ज हो गया है जिसे दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेशित किया जाता है [illegible] पटवार हल्का जलिया तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नंबर 64, 65 कुल [illegible] 1.7[illegible] हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम घीसालाल पिता मोहनलाल कुमावत के बजाय [illegible] कुमावत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय आज दिनांक 24.[illegible]2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:41:56 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Scanned by CamScanner